

**अनुलग्नक-I**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.5)**

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/  
जिनके 30 सितम्बर 2013 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	13	12	12	9	<b>46</b>
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	9	<b>9</b>
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	0	2	3	1	<b>6</b>
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	2	1	<b>3</b>
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	0	1	6	6	<b>13</b>
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	1	6	6	<b>13</b>
राज्य उत्पाद शुल्क/पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	2	1	3	<b>10</b>
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	3	<b>3</b>
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	4	1	1	<b>7</b>
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	1	1	<b>2</b>
योग	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>82</b>
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों के कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	0	1	9	20	<b>30</b>

**अनुलग्नक-II**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.5)**

लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है

क्र. सं.	लो.ले.स. रिपोर्ट संख्या	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि
1.	22	3	1979-80
2.	23	4	1980-81
3.	25	4	1981-82
4.	26	3	1982-83
5.	28	2	1983-84
6.	29	8	1984-85
7.	32	4	1985-86
8.	34	12	1986-87
9.	36	6	1987-88
10.	38	11	1988-89
11.	40	23	1989-90
12.	42	31	1990-91, 1991-92, 1992-93
13.	44	41	1990-91, 1991-92, 1992-93
14.	46	9	1993-94
15.	48	10	1993-94, 1994-95
16.	50	41	1993-94, 1994-95, 1995-96
17.	52	31	1996-97
18.	54	43	1997-98
19.	58	64	1998-99, 1999-2000
20.	60	38	2000-01
21.	62	46	2001-02
22.	63	48	2002-03
23.	64	52	2003-04
24.	65	51	2004-05
25.	67	52	2005-06
26.	68	103	2006-07, 2007-08
<b>योग</b>		<b>740</b>	

**अनुलग्नक-III**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.9.1)**

31 मार्च 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

वर्ष	बकाया नि.प्र. की संख्या	अनुच्छेद	राशि (₹ करोड़ में)
2002-03 तक	08	09	3.72
2003-04	02	03	8.78
2004-05	01	01	2.00
2005-06	06	07	7.20
2006-07	10	15	10.76
<b>योग</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>32.46</b>
2007-08	12	18	3.14
2008-09	10	14	1.00
2009-10	13	24	7.86
2010-11	22	55	9.49
2011-12	15	25	8.74
<b>कुल योग</b>	<b>99</b>	<b>171</b>	<b>62.69</b>

**अनुलग्नक-IV**

**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.9.2.2)**

**वर्ष 2003 - 04 से 2011 - 12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल समीक्षाओं तथा सिफारिशों के विवरण**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	की गई सिफारिशों के विवरण
2005-06	राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	<p>उत्पाद शुल्कों/फीसों इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में आबकारी विभाग के कार्यचालन पर नियंत्रण लागू करने तथा बचाव के रास्ते बंद करने के लिए सरकार निम्नलिखित पर विचार करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ चूकर्ताओं से तीव्र वसूली के उद्देश्य से लंबी प्रक्रियाओं में संशोधन तथा इसके राजस्व संग्रहण प्रशासन को सुटूँड़ करना;</li> <li>➤ फील्ड कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक रिटर्नों में विसंगतियों का पता लगाने के दृष्टिकोण से एक दृढ़ आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली का विकास करना तथा सुनिश्चित करना कि देयों की वसूली की प्रक्रिया सुटूँड़ तथा शीर्ष स्तर पर मानीटर की जाती है; तथा</li> <li>➤ शराब के अवैध व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए निवारक शास्ति लगाकर अधिनियमों/नियमों के शास्ति प्रावधानों का कार्यान्वयन करना।</li> </ul>
2010-11	राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	<p>रन्धों को बंद करने तथा आबकारी शुल्क/फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में आबकारी विभाग के कार्यचालन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से सरकार कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित सुझावों पर विचार कर सकती है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अनाज से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन हेतु मानक नियत करने के लिए अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जाए;</li> <li>➤ शराब के अवैध व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए निवारक शास्ति लगाकर अधिनियमों/नियमों के दण्ड प्रावधानों को लागू किया जाए;</li> <li>➤ प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति को देर से जमा करने/जमा न करने के लिए दण्ड प्रावधानों को आरंभ किया जाए;</li> <li>➤ डिस्टीलरियों द्वारा सी.ए.ल. की आपूर्ति हेतु पैट बोतलों की बजाए कांच की बोतलों के शत - प्रतिशत उपयोग हेतु प्रावधान शुरू किए जाएं क्योंकि पैट बोतलें इको - फ्रेंडली नहीं हैं;</li> <li>➤ कठोर दण्ड सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए प्रावधान शुरू किए जाएं ताकि शराब में मिलावट करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके; तथा</li> <li>➤ आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुटूँड़ किया जाए तथा अधिक प्रभावी बनाया जाए।</li> </ul>

**अनुलग्नक-V**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.10)**  
**वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा योजना**

क्र. सं.	प्राप्तियों की प्रकृति	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की कुल संख्या	वा.-वार्षिक अ.-अर्धवार्षिक त्रै.-त्रैवार्षिक च.-चतुर्वार्षिक				वर्ष 2012-13 के लिए नियोजित इकाइयों की संख्या				2012-13 के दौरान नियोजित एवं परीक्षित कुल इकाइयाँ
			वा.	अ.	त्रै.	च.	वा.	अ.	त्रै.	च.	
1.	0039- राज्य आबकारी	39	21	18	-	-	21	02	0	0	23
2.	0030-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	119	59	60	-	-	58	30	0	0	88
3.	0041- वाहनों पर कर	75	21	54	-	-	21	31	0	0	52
4.	0042- यात्री एवं माल कर	23	23	-	-	-	23	0	0	0	23
5.	0853-खदान एवं खनिज	16	8	8	-	-	08	04	0	0	12
6.	0040- बिक्री कर	61	33	-	-	28	33	0	0	7	40
7.	0043- विद्युत शुल्क	4	1	-	-	3	0	0	0	01	01
8.	0045- मनोरंजन	23	-	-	-	23	-	-	-	-	-
9.	0029- भू-राजस्व	119	-	-	-	119	0	0	0	23	23
10.	0039- फार्मेसी	18	-	-	-	18	0	0	0	03	03
<b>योग</b>		<b>497</b>	<b>166</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>191</b>	<b>164</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>265</b>

**अनुलग्नक VI**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 6.2.7)**

ऐसे मामले, जिनमें पहला नोटिस भी जारी नहीं किया गया था

क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	31 मार्च 2013 को विलंब (महीनों में)
1	मडलौडा (पानीपत)	25	3.29	9-43
2	फरीदाबाद	10	50.99	8-18
	योग	35	54.28	16-80

**अनुलग्नक VII**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 6.2.7)**

ऐसे मामले, जिनमें नोटिस जारी किए गए किंतु दिए नहीं गए

क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2013 को विलंब (महीनों में)
1	गुडगांव	37	1.11	9-249
2	फारूख नगर (गुडगांव)	6	0.07	10-78
3	पटौदी (गुडगांव)	8	0.04	16-72
4	समालखा (पानीपत)	7	0.01	5-13
5	मडलौडा (पानीपत)	14	0.52	13
6	फरीदाबाद	6	7.74	11-30
7	रेवाड़ी	9	0.03	4-15
	योग	87	9.52	

**अनुलग्नक VIII**  
**(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 6.2.7)**

ऐसे मामले, जिनमें चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे किंतु राशि वसूल करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी

क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2013 को विलंब (वर्षों में)
1	गुडगांव	35	1.72	1-18
2	फरीदाबाद	1	0.00 (21,300)	1-4
3	रेवाड़ी	15	0.08	16 से 80 माह
	योग	51	1.80	